न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 03/2024 GCMS No.—2024/91

विक्रम मीणा पुत्र श्री रामकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी प्लाट नंबर ए–14, सिद्वार्थ कॉलोनी, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर एवं ग्राम बस्सी, बस स्टैण्ड के पास, बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवसहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री गणेश शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण
2. सूरजमल शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।
3. नगरपालिका बस्सी जरिये सचिव कार्यालय स्थित स्टेशन रोड, बस्सी हाल रिकॉर्ड कीपर तत्समय ग्राम पंचायत बस्सी, जिला जयपुर।

.............विपक्षीगण

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर सत्यमेव जयते

निगरानी याचिका विरूद्ध भूमि विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 25.05.2000 संख्या 32 मिसल संख्या 69 दिनांक 24.02.1998 जारी द्वारा तत्समयी ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री जी.के.शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रजत रंजन अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 24.07.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी के आदेश दिनांक 25.05.2000 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 शिवसहाय शर्मा पुत्र स्व. गणेश शर्मा एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता जगदीश नारायण पुत्र कल्याण सहाय शर्मा के पक्ष में संयुक्त रूप से पट्टा संख्या 32 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 24.01.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक व दो की ओर से श्री रजत रंजन अधिवक्ता उपस्थित आये। ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बस्सी से प्राप्त जवाब अनुसार निगरानीधीन पट्टा पत्रावली कार्यालय नगरपालिका बस्सी में अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जो शामिल मिसल रहे।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमो एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों अनुसार विपक्षी संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का गत दिनांक 04.12.2022 को न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बस्सी के समक्ष प्रार्थी/निगरानीकार के विरूद्ध निगरानीधीन पट्टे के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

वाद न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम बस्सी द्वारा दिनांक 24.01.2023 को खारिज किया जा चुका है। निगरानीधीन पट्टा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज है जो विपक्षी संख्या 1 व 2 ने आम रास्ता सडक की भूमि खसरा नंबर 1081 वर्तमान खसरा नंबर 1578 के भाग पर किये गये अतिक्रमण को कायम रखन की नियत से कूटरचित किया है। निगरानीकार के द्वारा उक्त अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश जयपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.1979 व उक्त निर्णय के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत अपील का निर्णय जो न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कम 1 जयपुर जिला जयपुर के द्वारा पारित किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा दर्शित पट्टा दिनांक 25.05.2000 से संबंधित पत्रावली का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानीकार की भूमि व आम रास्ता सडक की भूमि खसरा नंबर 1081 वर्तमान खसरा नंबर 1578 के मध्य कोई आबादी भूमि विद्यमान नहीं है न कभी रही है। जब आबादी भूमि दोनो के बीच है ही नहीं तो निगरानीधीन पट्टा की आबादी भूमि का नहीं हो सकता है। ग्राम पंचायत बस्सी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। गैर निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टे की आड में अनेक मिथ्या प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत कर रखे है तथा गुमराह करके न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है जिसकी अनुमति विपक्षी संख्या 1 को नहीं दी जा सकती है। विपक्षी संख्या 1 व 2 का यह कहना गलत है कि ग्राम पंचायत उक्त न्यायालय के निर्णयों से पाबन्द नहीं है। गैर निगरानीकार द्वारा न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश जयपुर के समक्ष विचाराधीन स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में प्रस्तुत जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गैर निगरानीकार गरीब ग्रामीण है तथा अपने परिवार के गुजारे हेतु 6–7 वर्षो से खसरा नंबर 1081 की भूमि पर 20 फुट आम रास्ता छोडकर थडिया रखकर चाय–पानी की दुकान करते है। गैर निगरानीकार की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा आरम्भ में आम रास्ता खसरा नंबर 1081 की भूमि पर थडी रखकर अतिकमण किया गया था जिसके बावजूद आम रास्ते की भूमि के अतिकमण के संबंध में चुनौतीग्रस्त पट्टा दिनांक 25.05.2000 कूटरचित किया है। निगरानीकार को उक्त निगरानीधीन पट्टे की जानकारी सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी में प्रस्तुत किये गये वाद के बाद हुयी जिसके तुरन्त बाद निगरानीकार ने चुनौतीग्रस्त पट्टे के विरूद्ध कार्यवाहियां आरम्भ की है। निगरानीकार ने कृषि भूमि प्रकाश चन्द जैन वगैरह से जरिये पंजीकृत विकय पत्र खरीदी है एवं प्रकाश चन्द जैन ने पूर्व में विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.1979 को खसरा नंबर 1081 वाके ग्राम बस्सी की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया था जिसके बावजूद गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से साज कर निगरानीधीन पट्टा जारी करवा लिया। माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा बउनवानी निगरानी संख्या 58/14 निर्णय दिनांक 30.03.2015 में गैर निगरानीकार द्वारा तथ्य छुपाये गये एवं न्यायालय हाजा द्वारा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

निगरानी खारिज की गयी किन्तु आदेश दिनांक 30.03.2015 में पूर्ण जांच पश्चात समस्त तथ्यों के साथ पुनः निगरानी प्रस्तुत करने के लिये विकास अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया गया था। निगरानीकार द्वारा पुलिस थाना बस्सी में दर्ज कराये गये एफ.आई.आर. संख्या 619/2022 में निगरानीधीन पट्टे के संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों से जांच करायी गयी एवं जांच रिपोर्ट में निगरानीधीन पट्टा कूटरचित माना गया है। इस बात की जानकारी विपक्षी संख्या 1 व 2 को होने पर विपक्षी संख्या 2 ने उक्त प्रथम सूचना के विरूद्ध पिटिशन धारा 482 सीआरपीसी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके एकतरफा रूप से कार्यवाही को स्थगित करा लिया जिसके कारण विपक्षी संख्या 1 व 2 गिरफ्तारी से बचे हुए है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मैरिट्स पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। निगरानीकार ने अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण से 90ए पारित करवाया है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 25.05.2000 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 32 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा गैर निगरानीकार के हक में विधिवत ही पट्टा जारी किया गया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 13.09.1979 का निर्णय अलग तथ्यों और अलग वाद हेतुक के लिये था। प्रश्नगत भूमि रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर, नेशनल हाईवे से 3 कि.मी. दूर है और रास्ते का भाग नहीं है। माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पंचायत निगरानी संख्या 58/14 उनवानी विकास अधिकारी पं.स. बस्सी बनाम ग्राम पंचायत बस्सी में निर्णय दिनांक 30.03.2015 के जरिये निगरानी खारिज की गयी। माननीय सिविल न्यायालय ने भी गैर निगरानीकार पट्टेधारी का कब्जा वर्ष 1976 से पूर्व का माना है, इसलिये कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का कोई ठोस आधार निगरानीकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। पुलिस थाना बस्सी में पुलिस ने अनुसंधान करके अंतिम रिपोर्ट अदम वकू गलत फहमी दिनांक 08.12.2023 को सक्षम न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2023 को पेश कर दिया। विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार की थडियां 50—60 वर्षो से चली आ रही है, विपक्षी का बिजली कनेक्शन है एवं वहां गैर निगरानीकार व्यवसाय करता है। निगरानीकार अपराधिक बल व राजैनितक प्रभाव से विपक्षी को बेकब्जा करना चाहता है। गैर निगरानीकार का दावा ग्राम न्यायालय बस्सी में खारिज हुआ उसकी अपील आदेश दिनांक 31.05.2023 को टेक्निकल पांइट पर खारिज की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर यथावत स्थिति के आदेश दिनांक 30.01.2024 पारित किया है। वास्तविकता में निगरानीकार ने फर्जीवाडा करके जेडीए से स्वयं की भूमि का पट्टा प्राप्त किया है। जिसके विरूद्ध जेडीए में रेफरेन्स याचिका गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत की गयी है। माननीय सिविल न्यायालय में दीवानी प्रकरण संख्या 39/1992

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

बउनवानी शिवसहाय बनाम ग्राम पंचायत बस्सी में निर्णय व डिकी दिनांक 22.09.1994 पारित किया है जिसमें ग्राम पंचायत बस्सी को प्रश्नगत संपत्ति से बेदखल करने विपक्षी को बेदखल करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। उक्त निर्णय व डिकी को आदिनांक तक ना तो सेट असाइड किया गया है, ना ही इसकी कोई अपील प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार विपक्षी प्रश्नगत संपत्ति पर पूर्णतया विधिक रूप काबिज है एवं विपक्षी के कब्जे में किसी प्रकार हस्तक्षेप करने का निगरानीकार या ग्राम पंचायत बस्सी को कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकार ने तथ्य छिपाकर निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा पत्रावली नगरपालिका बस्सी कार्यालय में अनुपलब्ध है ऐसी स्थिति में पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जना उचित समझते है। पंचायत राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 में निहित प्रावधानों में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा बउनवानी प्रकरण प्रकाश चन्द बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 13.07.1979 में खसरा नंबर 1081 में किसी प्रकार का कोई तामीरात न करने एवं न ही आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 1081 के किसी अंश में कोई रूकावट पैदा करने बाबत आदेश पारित किया गया। न्यायालय हाजा के द्वारा निर्णित पंचायत निगरानी संख्या 58/14 बउनवानी विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी बनाम ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2015 निगरानी खारिज की गयी एवं निर्णय दिनांक 30.03.2015 अनुसार सिविल न्यायालय के निर्णय में वर्णित भूमि से निगरानीधीन पट्टे की भूमि भिन्न है तो पूर्ण जांच पश्चात समस्त तथ्यों के साथ पुनः निगरानी प्रस्तुत करने के लिये निगरानीकार विकास अधिकारी स्वतंत्र है। गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम न्यायालय बस्सी में प्रस्तुत वाद आदेश दिनांक 24.01.2023 माननीय ग्राम न्यायालय बस्सी द्वारा खारिज किया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि आबादी भूमि नहीं है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सहायक पुलिस आयुक्त बस्सी जयपुर पूर्व द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम संख्या 12, बस्सी जयपुर महानगर प्रथम को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार को ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा दिनांक 25.05.2000 को जारी पट्टा संख्या 32 की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व पटवारी की मौका मुआयना रिपोर्ट में उक्त पट्टा खसरा नंबर 1578 गत खसरा नंबर 1081 है जो स्पष्ट रूप से सडक है आबादी भूमि नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ग्राम बस्सी स्थित भूमि खसरा नबर 1578 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

सरकार इन्जीनियरिंग किस्म गै0मु0सडक दर्ज है। विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बस्सी से विवादित पट्टे की भूमि की मौका रिपोर्ट ली गयी एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 321 दिनांक 02.07.2025 अनुसार ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा मिसल संख्या 69 दिनांक 24.02.1998 पर जारी पट्टे में वर्णित व दर्शित भूमि हाल राजस्व नक्शा अनुसार पट्टे वाली जगह आबादी भूमि नहीं है। पंचायत राज अधिनियम 1994 में निहित प्रावधानों एवं नियमों अनुसार ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किये जाने का क्षेत्राधिकार है। प्रशासनिक एवं पुलिस जांच रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा आबादी भूमि में निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात से यह तथ्य स्वीकार है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर गैर निगरानीकार का कब्जा रहा है किन्तु ग्राम पंचायत को आबादी भूमि के अतिरिक्त भूमि पर पट्टा दिये जाने का विधिक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा आबादी भूमि में निगरानीधीन पट्टा जारी नहीं किया गया है इसलिए विचाराधीन निगरानी में ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 को जारी निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी द्वारा जारी मिसल सं. 69 दायर दिनांक 24.02.1998 से निर्णय लेते हुये गैर निगरानीकार संख्या 1 शिवसहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री गणेश शर्मा एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के पिता जगदीश शर्मा पुत्र कल्याण सहाय शर्मा निवासी ग्राम बस्सी के हक में संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 25.05.2000 द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु नगरपालिका बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर